राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/22112-22315 दिनांकः 07/04/2021

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक विशेष गाइडलाइन एवं टीकाकरण जनजागरण अभियान बाबत्।

संदर्भः–गृह विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक प.33(2) गृह–9/2019 दिनांक 04.04.2021 (प्रति संलग्न)।

जैसा कि विदित है कि बीते कुछ दिनों में अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में पुनः वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए हाल ही में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं जन जागरण अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक विशेष गाइडलाइन जारी की गयी है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना एवं टीकाकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में क्षेत्र विशेष के अनुसार **नवाचार** सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार विस्तार किया जाता हैः–

- नो मास्क–नो एंट्री अभियान पुनः चालू करना।
- रैलियां निकालना।
- कचरा वाहनों पर नयी जिंगलटोन (वाट्सएप ग्रुप पर शेयर किये गये अनुसार) बजाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया व एफएम रेडियो इत्यादि) का उपयोग।
- सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा इत्यादि के माध्यम से माईक द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार।
- निर्धारित पम्पलेट (माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपील एवं सूचना व जन संपर्क निदेशालय द्वारा जारी स्लोगन्स) वितरण जारी रखना।
- नगर के मुख्य स्थानों पर हॉर्डिंग/बैनर लगाना व वॉल पेंटिंग करवाना।
- कच्ची बस्ती, सब्जी/अनाज मण्डी, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे–बस इत्यादि पर कमजोर वर्गों से संवाद उपरांत मास्क विहीन लोगों को मास्क वितरण।
- विभिन्न सामाजिक संगठनों (व्यापारिक, नागरिक, सामाजिक व सभी धर्मगुरूओं इत्यादि) एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए अभियान को जनजागरण अभियान की तर्ज पर चलाने हेतु समझाइश एवं सहयोग प्राप्त करना।
- एनसीसी/एनएसएस स्काउट गाइड, एनजीओ एवं नेहरू युवा केन्द्र का सहयोग प्राप्त करना।

- स्कूल/कॉलेजों के शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद एवं सहयोग प्राप्त करना।
- जारी गाइडलाइन के अनुसार योग्य नागरिकों को तेजी से टीकाकरण हेतु प्रेरित एवं मोबिलाईज़ करना।
- प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नागरिकों/वाणिज्यिक स्थलों/विवाह स्थलों/सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलों पर सीज/शास्ती की कार्यवाही।
- हाल ही गठित संयुक्त प्रर्वतन दल (JET) एवं एंटी कोविड टीम की गतिविधियों में हिस्सेदारी के साथ ही नगरीय निकायों द्वारा अपनी स्वयं की नियमित गतिविधियां पूर्वानुसार एनयूएलएम के समूहों के सहयोग से जारी रखना।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संबंधित क्षेत्र में उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे तथा कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क लगाना तथा उचित दूरी के नियम की पालना नहीं होने पर जुर्माने के साथ–साथ संबंधित दुकान, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जिला प्रशासन के सहयोग से 72 घंटे के लिए सील करने की सख्त कार्यवाही करेंगे।

टीकाकरण की संख्या को बढ़ाने हेतु टीकाकरण जनजागरण अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। इस हेतु एंटी कोविड टीम के निर्देशन में सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण हेतु जागरूक एवं प्रेरित करें।

उपरोक्त अभियान की प्रगति की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अभियान के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राईव में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के पश्चात् नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

कोरोना एवं टीकाकरण अभियान के प्रभावी संचालन एवं नियमित मॉनिटरिंग/पर्यवेक्षण हेतु निम्नांकित अधिकारियों को जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता हैः–

क्र. सं.	आवंटित जिला	अधिकारी का नाम	पद एव पदस्थापन का स्थान
1.	जयपुर	श्री संजीव कुमार पाण्डेय	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय
2.	झुन्झुनूं, सीकर	श्रीमती रेणू खण्डेलवाल	उपनिदेशक क्षेत्रीय, जयपुर संभाग
3.	अजमेर, भीलवाड़ा	डॉ. अनुपमा टेलर	उपनिदेशक क्षेत्रीय, अजमेर संभाग
4.	बाड़मेर, जैसलमेर	श्री दलबीर सिंह दड्डा	उपनिदेशक क्षेत्रीय, जोधपुर संभाग
5.	उदयपुर, राजसमन्द	श्री विनय पाठक	उपनिदेशक क्षेत्रीय, उदयपुर संभाग
6.	बारां, झालावाड़	श्रीमती दीप्ती रामचन्द्र मीणा	उपनिदेशक क्षेत्रीय, कोटा संभाग
7.	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	श्री राजेन्द्र आहूजा	अधीक्षण अभियंता, रूडसिको
8.	भरतपुर, धौलपुर	श्री महेश चन्द्र गोयल	अधीक्षण अभियंता, रूडसिको
9.	कोटा, बूंदी	श्री के. के. नाटाणी	अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी
10.	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	श्री महेन्द्र कुमार बैरवा	मुख्य अभियंता, इलेक्ट्रिक, निदेशालय
11.	सवाईमाधोपुर, करौली	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	परियोजना निदेशक, निदेशालय
12.	बीकानेर, चूरू	श्री जगन्नाथ बैरवा	अधीक्षण अभियंता, रूडसिको
13.	सिरोही, जालौर	श्री अशोक कुमार जैन	अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी
14.	टोंक, नागौर	श्री नेमीचन्द पंवार	अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी
15.	दौसा, अलवर	श्री अशोक चौधरी	परियोजना निदेशक, (हाऊसिंग), रूडसिको
16.	जोधपुर, पाली	श्री संजय देवल	सहायक निदेशक (सर्तकता), निदेशालय
17.	बांसवाड़ा, डूंगरपुर	श्री मनीष अरोडा	अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी

समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), अपने संपूर्ण संभाग के लिए भी जिम्मेदार होंगे। समस्त सूचना की गूगल ड्राईव में प्रगति के पर्यवेक्षण का कार्य यथावत करते रहेंगे।

उपरोक्तानुसार सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जिलों का प्रत्येक सप्ताह विजिट कर कोरोना एवं टीकाकरण जागरूकता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग, राजस्थान स्काउट गाईड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईसी व उक्त अभियान के कार्यों में संलग्न अन्य विभागों/संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए उपर्युक्त वर्णित गतिविधियां, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, का पर्यवेक्षण/मॉनिटरिंग करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

इसके अतिरिक्त सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जिलों की गूगल ड्राईव पर भेजी गई सूचना का नियमित परीक्षण कर विसंगतियों को संबंधित नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर दूर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/22316-22369 दिनांकः 07/04/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. श्रीमती रेणू खण्डेलवाल, उपनिदेशक क्षेत्रीय, जयपुर संभाग।
5. श्री विनय पाठक, उपनिदेशक क्षेत्रीय, उदयपुर संभाग।
6. डॉ. अनुपमा टेलर, उपनिदेशक क्षेत्रीय, अजमेर संभाग।
7. श्री दलबीर सिंह दड्डा, उपनिदेशक क्षेत्रीय, जोधपुर संभाग।
8. श्रीमती दीप्ती रामचन्द्र मीणा, उपनिदेशक क्षेत्रीय, कोटा संभाग।
9. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
10. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, परियोजना निदेशक, निदेशालय।
11. श्री संजय देवल, सहायक निदेशक (सर्तकता), निदेशालय।
12. श्री महेन्द्र कुमार बैरवा, मुख्य अभियंता, इलेक्ट्रिक, निदेशालय।
13. श्री अशोक चौधरी, परियोजना निदेशक, (हाऊसिंग), रूडसिको।
14. श्री राजेन्द्र आहूजा, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको।
15. श्री महेश चन्द्र गोयल, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको।

16. श्री के. के. नाटाणी, अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी।
17. श्री जगन्नाथ बैरवा, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको।
18. श्री अशोक कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी।
19. श्री नेमीचन्द पंवार, अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी।
20. श्री मनीष अरोड़ा, अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी।
21. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
22. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक